न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 27 / 2007

वादीनी	ब नाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती अनिता पुत्री गोविन्दराम धर्मपत्नि राजेन्द्र कुमार जाति खारवाल निवासी पचपदरा जि. बाड़मेर		1. लूणाराम पुत्र गोविन्दराम जाति खारवाल 2. भीखीदेवी पत्नि गोविन्दराम जाति खारवाल 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर 4. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि इश्वरचन्द जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर

निर्णय

दिनांक: 27.9.2017

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी विद्वान अधिवक्ता, वादीनी की ओर से –
2. श्री चेलाराम कुमावत विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीनी सं. 04 की ओर से –

वादीनी ने न्यायालय में अधिकार घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र इस आशय का पेश किया, जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं, सरहद मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा की राजस्व सीमा में श्री बद्रीनारायण के रामय की कृषि भूमि अवस्थित रही है, जो गोविन्दराम को जरिये बंटवाडा पैतृक रूप में प्राप्त हुई, कृषि भूमि खसरा संख्या 241 रकबा 1 बीघा, खसरा सं. 570 रकबा 03 बीघा, खसरा संख्या 579 रकबा 6 बीघा 04 विस्वा कुल रकबा 10 बीघा 04 विस्वा अवस्थित रही हैं, उक्त भूमि का खातेदार तत्समय में गोविन्दराम वादीनी के पिता रहे हैं, गोविन्दराम की मृत्यु निर्वसियति हिन्दू रहते हुई, गोविन्दराम की मृत्यु पर उक्त भूमि के सम्बन्ध में जो फौतगी म्यूटेशन भरा गया, ऐसे फौतगी म्यूटेशन में वादीनी का नाम दर्ज अंकित नहीं कर मात्र प्रतिवादी सं. 01 व 02 का नाम ही दर्ज अंकित किया गया, जबकि वादीनी उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से की खातेदार टीनेन्ट रही है । यह निर्विवाद हैं कि फिस्कल प्रकृति की नामान्तरण करण की प्रविष्टियों से हको/हितों का एवं अधिकारों का न तो सृजन होता है और न निर्वापन ही होता है, मौके पर वादीनी अपने हिस्सा अनुसार काबिज रह कर काश्त करती रहती रह रही है । प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो वादीनी के भाई व माता है, से वादीनी का नाम वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से में जरिये सुधार रेकर्ड में दर्ज कराने का अनुरोध किया तो, वादीनी का हक होना तो स्वीकार किया, किन्तु नाम रेकर्ड में दर्ज कराने की बजाय बेचान फरोख्त की अनुचित धमकी दी, ऐसी स्थिति में वादीनी द्वारा उक्त भूमियों में निहीत अपने हक एवं अधिकार की सुरक्षार्थ वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया, इस हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया । वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया, प्रतिवादी सं. 01 व. 02 की ओर से लिखित में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि, वादीनी के वाद को आगे लडना नहीं चाहते है, वाद डिक्री किया जाता है, तो कोई एतराज नहीं है । हम प्रतिवादीगण उक्त वाद में कोई जवाबदावा इत्यादि नहीं चाहते है, प्रतिवादी सं. 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि, वादीनी का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है, न विवाहित पुत्री का पैतृक सम्पति में कोई हक हिस्सा ही कानूनन होता है । वादीनी का कोई 1/3 हिस्सा निहीत नहीं हुआ । गोविन्दराम बीमार था और बीमारी पर काफी खर्चा हो चुका था, परिवार पर कर्जा था, इसलिए भूमि का हिस्सा बेचान किया, जिसकी जानकारी वादीनी को पुख्ता रूप से है, प्रतिवादीनी सं. 04 सद्भावी क्रेता है, झुठा वाद पत्र पेश किया है, पैतृक सम्पति में वादीनी जो पुत्री हैं का कोई हिस्सा नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है ।

दोनों पक्षों की ओर से अभिवचन प्रस्तुत होने पर निम्न तनकीयात कायम की गई :–

आया, वादीनी वादग्रस्त भूमि खसरा सं. 241, 570, 579 कुल रकबा 10 बीघा 4 विस्वा गांव मण्डापुरा में 1/3 हिससे की खातेदारी हक पाने की अधिकारीनी है ।

जिम्मे वादीनी

2. आया, बाद घोषणा वादीनी बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करने की अधिकारी है।

जिम्मे वादीनी

3. आया, वादीनी गोविन्दराम की पुत्री होने से हिन्दु विवाहिता पुत्री का पैतृक सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं होता है ।

जिम्मे प्रतिवादी

4. आया, प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने बतौर कर्ता खानदान अपने परिवार के कर्जे को चुकाने हेतु प्रतिवादी सं. 4 को बेचान कर परिवार का कर्जा चुका है ।

जिम्मे प्रतिवादी

5. आया, वादीनी जब तक बेचाननामे को सिविल न्यायालय से मनसुख नहीं करावे, तब तब वाद चलने योग्य नहीं है ।

जिम्मे प्रतिवादी

6. अनुतोष

हमने दोनो पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन अध्ययन किया ।

वादी की ओर से उसके जिम्मे रखी गई तनकियात को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू–1 स्वयं वादीनी अनीता तथा पी.डब्ल्यू–2 जगदीश के बयान कलमबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 अंकित करवाये, प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादीनी संख्या 4 की साक्ष्य कलमबद्ध करवायी, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–ए1 एवं प्रदर्श–ए2 प्रस्तुत किये ।

तनकीवार निर्णय – तनकी सं. 1

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीनी पर है, वादीनी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–5 म्यूटेशन सं. 429 अनुसार उक्त सम्पति प्रतिवादी सं. 01 व 02 के नाम जरिये फौतगी म्यूटेशन प्राप्त हुई है, गोविन्दराम की पुत्री वादीनी है, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है, प्रथम श्रेणी के वारिस में पुत्र, पुत्री एवं पत्नि होते है, वादीनी ने उक्त फौतगी म्यूटेशन प्रदर्श–5 को अपील न्यायालय श्री अपर कलेक्टर बाड़मेर के समक्ष अपील सं. 9/2007 प्रस्तुत कर चुनौती दी, जो अपील दिनांक 17.10.2007 को स्वीकार की जाकर म्यूटेशन सं. 429 इस आधार पर निरस्त किया कि, श्रीमती अनिता, गोविन्दराम की पुत्री है, जो प्रथम श्रेणी की वारिस है । जिससे उक्त भूमि में वादीनी का हक, हित एवं हिस्सा है, प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसमें वादीनी ने अपना हक, हित एवं हिस्सा प्रतिवादी के हक में अंतरित किया हो । प्रतिवादी ने जो खण्डन साक्ष्य पेश की, और उजर एतराज किया कि, उक्त सम्पति का बेचान कर्जा उतारने हेतु किया गया, किन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीनी सं. 4 की अपने बयान जिरह में यह संस्वीकृति हैं कि "यह बात सही हैं कि लूणाराम, भीखीदेवी पर हुए कर्जे को चुकाने बाबत् मेरे द्वारा किसी प्रकार की रसीद या फारगती पेश नहीं की है..... यह बात सही हैं कि वादीनी के पिता गोविन्दराम बीमार हो गये हो और उनका इलाज हमारे द्वारा करवाया हो, इस बाबत् कोई दस्तावेज जवाबदावे के साथ पेश नहीं किये हैं..... यह बात सही हैं कि वादीनी अनीता की शादी गोविन्दराम की मृत्यु के बाद हुई थी, गोविन्दराम के एक बेटा और एक बेटी है, बेटे का नाम लूणाराम है और बेटी का नाम अनीता है ।" इस प्रकार वादीनी गोविन्दराम की प्रथम श्रेणी की वारिस यानि पुत्री होने से उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से की घोषणा प्राप्त करने की अधिकारिणी प्रतीत होती है, अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीनी के पक्ष में किया जाता है ।

तनकी सं. 2 का निर्णय –

चूंकि तनकी सं. 1 वादीनी के पक्ष में निर्णित कर वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 241, 570, 579 मौजा मण्डापुरा में 1/3 हिस्से की खातेदार घोषित की गई है, विधि अनुसार खातेदार टीनेन्ट को अपनी भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा कराने का हक अधिकार प्राप्त है । अतः उक्त तनकी का निर्णय वादीनी के पक्ष में कर उक्त भूमियों का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा विभाजन तहसीलदार पचपदरा से मंगवाया जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

तनकी सं. 3 का निर्णय :–

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीनी सं. 04 पर था, उक्त तनकी को साबित करने हेतु प्रतिवादीनी ने अपने मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा प्रदर्श–ए1 जमाबंदी खतौनी प्रस्तुत की है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त भूमि पैतृक साबित हुई हो और पैतृक होने मात्र से प्रथम श्रेणी की वारिस को हक हिस्सा नहीं प्राप्त हुआ हो, नहीं माना जा सकता, अलावा इसके प्रतिवादीनी सं. 4 वादीनी के परिवार की सदस्या नहीं है, इस कारण उसे ऐसा ऐतराज करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिस के शेडयुल में पुत्र व पुत्री को समान रूप से अधिकारी होना माना है, अलावा इसके फौतगी म्यूटेशन जो तत्समय के खातेदार गोविन्दराम की फौतगी पर पारित हुआ, को अपीलीय न्यायालय यानि अपर कलेक्टर बाड़मेर द्वारा निर्णय दिनांक 17.10.2007 पारित कर निरस्त कर दिया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्रदर्श–4 है, के अनुसार वादीनी उक्त भूमियों में 1/3 हिस्से की अधिकारिणी होना साबित है। अतः उक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीनी के विरूद्ध एवं वादीनी के पक्ष में पारित किया जाता है ।

तनकी सं. 4 का निर्णय –

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीनी पर था, प्रतिवादीनी की ओर से हालांकि मौखिक साक्ष्य में एवं जवाबदावा में यह उजर एतराज लिया है कि उक्त सम्पति को बतौर कर्ता खानदान परिवार के कर्जे को चुकाने हेतु बेचान किया गया, किन्तु ऐसा कर्जा किस के पास था, और कितने रूपये था, और ऐसा कर्जा तथाकथित बेचान के माध्यम से प्राप्त रकम से ही चुकाया गया हो, के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज या फारगती प्रस्तुत नहीं की है, उक्त तथ्य स्वयं प्रतिवादीनी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया हैं । कर्जा होने का कथन प्रतिवादीनी ने किया है, तो प्रतिवादीनी की ओर से ऐसे कर्जा होने के तथ्य को साबित करना प्रतिवादीनी के जिम्मे था, किन्तु प्रतिवादनी ने उक्त तथ्य को साबित करने हेतु किसी स्वतंत्र साक्षी के बयान कलमबद्ध नहीं करवाये, जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि अमुक कर्जा था, साबित हुआ हो। अलावा इसके प्रतिवादीनी ने प्रदर्श–ए2 बेचाननामा पेश किया है, इस सम्बन्ध में संस्वीकृति आयी है, कि यह बात सही है कि बेचाननामा में लूणाराम व भीखीदेवी पर हुए कर्ज को उतारने हेतु उक्त भूमि बेचान की हो, कोई हवाला नहीं है । अतः उक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीनी के विरूद्ध एवं वादीनी के पक्ष में पारित किया जाता हैं ।

तनकी सं. 5 का निर्णय :–

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीनी पर था, जिसे साबित करने के सम्बन्ध में दस्तावेज प्रदर्श–ए2 पेश किया, उक्त सम्पति प्रतिवादी सं. 1 व 2 को गोविन्दराम से बफौदगी म्युटेशन प्राप्त हुई है, और गोविन्दराम की वारिस वादीनी रही है, उक्त तथ्य साबित हो चुका है, वादीनी ने अपने मुख्य परीक्षण में इस सम्बन्ध में कथन किया है, कि बेचाननामा वादीनी के हकों तक अनाधिकृत एवं शून्य है । प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा भूमि का बेचान अनाधिकृत तौर से अपने हिस्से से अधिक भूमि का किया जाना प्रतीत होता है, जहां पर अपने हिस्से से अधिक भूमि बेचान किया गया हो ऐसे वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है, और ऐसे दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त/मंसुख करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है । अतः उक्त विवेचन अनुसार उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादीनी के विरूद्ध एवं वादीनी के पक्ष में पारित किया जाता है ।

अनुतोष :–

चूँकि वादीनी ने अपना वाद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित किया है, इसलिए तनकी सं. 1 व 2 वादनी के पक्ष में निर्णित की गई है, और तनकी सं. 3, 4, 5 प्रतिवादीनी सं. 04 के विरूद्ध निर्णित की गई हैं, जिससे वादीनी माफिक वाद में वर्णित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है । प्रतिवादीनी की ओर से प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टांत प्रतिवादीनी की कोई मदद नहीं करते है, क्योंकि न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्य भिन्न होने से लागू नहीं होते है ।

(S.D.O.)

कलेक्टर

अतः वाद पत्र वादीनी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 241, 570, 579 कुल रकबा 10 बीघा 04 विस्वा मौजा मण्डापुरा में 1/3 हिस्से बराबर 3 बीघा 08 विस्वा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे, बाद रेकर्ड अमल दरामद वादीनी के हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित बंटवाड़ा के नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भूमिधारक प्रस्तुत करें । प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीनी के 1/3 हिस्से की भूमि में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें और न ही किसी से करावे। वाद का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करें । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज तारीख 27/9/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.),
बालोतरा

डिगरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'1)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर पीठासीन अधिकारी :–

SDO मुकाम बालोतरा
श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

वादीनी	ब नाम	प्रतिवादीगण
श्रीमती अनिता पुत्री गोविन्दराम धर्मपत्नि राजेन्द्र कुमार जाति खारवाल निवासी पचपदरा जि. बाड़मेर		1. लूणाराम पुत्र गोविन्दराम जाति खारवाल 2. भीखीदेवी पत्नि गोविन्दराम जाति खारवाल 3. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर 4. श्रीमती पुष्पादेवी पत्नि इश्वरचन्द जाति खारवाल निवासी पचपदरा जिला बाड़मेर

वाद हेतु अधिकार घोषणा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. राजस्व वाद सं. 27 / 2007

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे **ब हाजरी पक्षकारान मिनजानिब मुद्दई अचलाराम थोरी व मिनजानिब पक्षकारान मुदायलाह – चेलाराम कुमावत पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि**– वाद पत्र वादीनी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमियां खसरा सं. 241, 570, 579 कुल रकबा 10 बीघा 04 विस्वा मौजा मण्डापुरा में 1/3 हिस्से बराबर 3 बीघा 08 विस्वा भूमि का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है, इसी अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे, बाद रेकर्ड अमल दरामद वादीनी के हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्धारित बंटवाड़ा के नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भूमिधारक प्रस्तुत करें । प्रतिवादीगण को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीनी के 1/3 हिस्से की भूमि में कोई दखल/हस्तक्षेप, बाधा कारित नहीं करें और न ही किसी से करावे। वाद का व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 **माह** 9 **सन्** 2017

को जारी की गई।

मुहर सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

दस्तखत सहायक कलेक्टर
ओहदा (S.D.O.) बालोतरा